न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 24/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/221

अनवान

1. बदामी देवी पत्नि रामा, पुत्री गोकल जाट तथाकथित गेलड़ पुत्री भैरा जाट, निवासी कुवांरिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसंमद

प्रार्थीया/प्रतिवादी

बनाम

1. नारायण पिता भैरा जाट निवासी कोट जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण/वादी संख्या 1

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का.अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थीया/प्रतिवादी
2. पर्वतसिंह चुण्डावत– अधिवक्ता विपक्षीगण/वादी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः–08.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि :–

1. प्रकरण को वादी विपक्षी नारायणलाल आत्मज भैरा जाट द्वारा प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय आप में निर्णित दिनांक 22.03.2022 को निर्णय एवं डिक्री जारी कर फैसल किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी वादी द्वारा न्यायालय आप में दिनांक 09.06.2016 को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 22.03.2022 को एकपक्षीय के रूप से निर्णित किया गया।
2. प्रार्थीया को तामिल जरिये डाक मानकर निर्णित किया गया था प्रार्थीया को न्यायालय आप द्वारा जारी समन दिनांक 10.08.2021 प्रेशित किया गया जो उसे उसके निवास के पते पर नही मिला तथा न ही उसे उक्त प्रकरण की जानकारी थी पूर्व निर्णित एकपक्षीय प्रकरण में दिनांक 23.09.2021 को प्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश जारी किया गया। प्रार्थीया को प्रकरण की जानकारी नही थी। वादी नारायण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को समुचित रूप से तामिल नही करवाई केवल मात्र डाक रसीद के आधार पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरीत है। प्रार्थीया उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकी। उसके विरूद्व पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने के अधिकारी है।
3. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनवान प्रकरण नारायण बनाम बदामी प्रकरण संख्या 58/2016 निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय दिनांक 22.03.2022 को अपास्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण कि सुनवाई की जाकर निर्णित फरमावे।
4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन जारी किये गये। समन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

5. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीया प्रतिवादिया को निर्णित आदेश की पूर्व में जानकारी थी। पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक 23.06.2024 गलत अंकित की गई। न्यायालय ने दिनांक 22.03.2022 को कानुनी रूप से निर्णय पारित किया है। प्रार्थीया को तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई थी और रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद न्यायालय में पेश करने व पर्याप्त समय गुजरने के बाद ही न्यायालय से 23.09.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये व वादी के बयान लेकर ही निर्णय पारित किया। कानूनन रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बाद समुचित समय निकल जाने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही करने के प्रावधान है, इसलिए प्रार्थीया डिक्री व निर्णय को अपास्त कराने की अधिकारिणी नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

6. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि धारा 88, 188 का मूलवाद प्रकरण संख्या 58/2016 निर्णित हो चुका है। बदामीदेवी उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी थी। प्रकरण दिनांक 22.03.2022 को निर्णित हुआ। निर्णय एकपक्षीय हुआ जिसमें प्रार्थीया बदामी एकमात्र प्रतिवादी थी। मूल प्रकरण में प्रतिवादीया (वर्तमान में प्रार्थी) बदामी को तामिल दिनांक 28.07.2021 को रेलमगरा के पते पर भेजी गई थी। दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादीया को पुनः सम्मन भेजे गए। मूल प्रकरण में दिनांक 23.09.2021 को प्रतिवादीया बदामी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही के सन्दर्भ में सम्यक् तामील किस आधार पर मानी गई इसका कोई उल्लेख और साक्ष्य नही पत्रावली में उपलब्ध नही है। मूल वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में दिनांक 22.03.2022 को हुआ। और मूलवाद में वादी नारायण आत्मज भैरा जाट को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया था। प्रार्थीया बदामीदेवी जब दिनांक 15.06.2024 को केसीसी ऋण के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त करनी चाही तब उसे उक्त विषय और उससे जुडे न्यायिक वाद व उसके निर्णय का पता चला। दिनांक 30.06.2024 को प्रार्थीया को जमावन्दी की नकल प्राप्त हुई। दिनांक 31.07.2024 को प्रार्थीया ने सीपीसी 1908 आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कंटिग का हवाला दिया गया परन्तु यह एक लिपिकिय त्रुटी थी और इस कारण प्रार्थीया को न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिए। प्रार्थीया को सम्यक् तामील नही हुई इस कारण वह न्यायालय में अपना पक्ष नही रख सकी। अतः न्यायहित में प्रार्थीया को सुना जाना चाहिए और मूलवाद की डिक्री निरस्त की जानी चाहिए। अप्रार्थी द्वारा जवाब अभियान की तामील में अगुंठा निशानी का हवाला दिया गया है परन्तु प्रार्थीया हस्ताक्षर करती है। अतः अभियान की उक्त तामील को भी सम्यक् तामील नही माना जाना चाहिए।

7. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया बादामी को मूलवाद के दौरान बार–बार नोटिस भेजने पर तागील नही हुई तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मन भेजा गया था। साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 16(3) के अनुसार तागील लौटकर न आना तामील माना जाएगा। आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र 2024 में पेश किया उसमें कंटिग पर कोई हस्ताक्षर नही किए गए है। सभी जगह सफेदा लगा हुआ है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 2 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थीया मुलतः अप्रार्थी के परिवार की नही है।

सहायक कलक्टर

8. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया को मूलवाद में सम्यक् तामील नही होने से अपना पक्ष रखने का मौका ही नही मिला है। प्रार्थना पत्र में सहवन वश तारीखो में त्रुटी हुई है इसके कारण प्रार्थीया को न्याय से वंचित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत सम्मन न मिलना अथवा अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण होना प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार है। रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए सम्मन की की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नही होने से इसे सम्यक् तामील नही माना जाना चाहिए। पक्षकार को सम्मन तामील होने की प्राप्ति रसीद ना प्राप्त होने पर या अदम तामील आने पर अखबार में छाया करने का प्रावधान भी है जिसे भी अप्रार्थी द्वारा पूर्ण करने का प्रयास नही किया गया। प्रार्थीया मूलवाद में वादग्रस्त आराजियात की खातेदार थी। अतः प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।

9. न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से मनन किया तो पाया कि मूलवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का था जो दिनांक 22.03.2022 को निर्णित किया गया। प्रतिवादी (प्रार्थीया) को रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भेजा गया परन्तु पत्रावली में डिलीवरी रिपोर्ट उपलब्ध नही करवाई गई। मूल प्रकरण में दिनांक 23.09.2021 को प्रतिवादी (प्रार्थीया) के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मूलवाद का निस्तारण वादी के पक्ष में दिनांक 22.03.2022 को हुआ। और मूलवाद में वादी नारायण आत्मज भैरा जाट को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया था। प्रतिवादी (प्रार्थीया) मूल प्रकरण में खातेदार काश्तकार थी जिसने वर्तमान में अपने विरूद्व पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने तथा प्रकरण में अपना पक्ष न्यायहित में सुने जाने के लिए सीपीसी 1908 आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया को मूल प्रकरण में सम्यक् तामील होने के कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नही है। प्रार्थीया जो कि मूल प्रकरण के निस्तारण के पूर्व वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार थी एसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सीपीसी 1908 आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल प्रकरण अनवान नारायण बनाम वदामी प्रकरण संख्या 58/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः रेकार्ड पर लिया जावे। तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जाकर मूलवाद के प्रकरण में जारी डिक्री को अपास्त किए जाने से पुनः वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी की स्थिति पूर्ववत बहाल करने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (पाली)